13.7.2015— पत्रावली राजस्व लोक आदालत कैम्प दूबरा में पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित। उभयपक्ष को सुना गया सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि विवादित आराजी के 1/5 भाग में प्रतिवादी सं0 5 लगा0 9 सहखातेदार काश्तकार थे। तथा काबिज काश्त रहे। यही 1/5 भाग विवादित है। उक्त आराजी प्रतिवादी 5 लगा0 9 ने जरिये रजिस्टर्ड विकृयपत्र दिनांक 15.07.1997 को 45000 की एवज में सायलान को विकृय कर दिया तथा कब्ज अपने समान रोजे खरीद सायलान का प्रतिवादी 5 लगा0 9 ने करा दिया यह कब्जा सायलान का आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। उक्त वयनामा के आधार पर सायलान ने विवाति भूमि का दाखिला खारिज खुलवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तब पटवारी हल्का ने बताया कि प्रतिवादी लगा0 9 ने विवादित भूमि को गैरसायल सं0 1 के पति व 2 लगायत 3 के पिता गुरूचरन, तथा प्रतिवादी सं0 4 के पिता वीरेन्द्रपाल को विकृय कर दिया एवं पुनः वीरेन्द्रपाल ने अपने नाम वाली आराजी प्रतिवादी सं0 21 लगायत 23 के नाम विकृय कर दिया जो वामुकाबले सायलान शून्य व प्रभावहीन है। जिनसे प्रतिवादी 1 लगायत 4 व 21 लगा0 23 को कोई अधिकार नहीं मिलते है। प्रतिवादीगण सं0 5 लगायत 9 को सायलान के पक्ष में निष्पादित विकृय पत्र के बजूद में रहते हुये पुनः विकृय करने का अधिकार नहीं था। जब सायलान ने गैरसायलान से विकृय पत्र दिनांक 15.7.1997 के आधार पर दुरूस्त, व बंटवारा कराने का निवेदन किया तो साफ इन्कारी हो गये। तथा इजहार किय कि गुरूचरन के स्थान पर अपने नाम दाखिला खारिज कराने के बाद विवादित आराजी को अतिशीघ्र विकृय कर देंगे। यदि गैरसायलान ने अपने कथनों को अमलीजामा पहना दिया तो सायलान को अपरिमिति क्षति होगी। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किये जाने का निवेदन किया है।

गैरसायलान को तलब किया गया गैरसायलान उपस्थित हुये और प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर कथन किया प्रतिवादी सं0 5 लगायत 9 ने सायलान के पक्ष में कोई विकृय पत्र नहीं किया है तथाकथित विकृयपत्र जाली व फर्जी है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रतिवादी सं0 5 लगा0 9 ने विवादित आराजी का विकृय दिनांक 22.6.1998 को उत्तरदाता के पूर्व पुरूष गुरूचरन के पक्ष जरिये पंजीकृत वयनामा कर दिया था। उसके बाद गुरूचरन उक्त आराजी पर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करता रहा। सायलान को विवादित आराजी का गुरूचरन के पक्ष में होने की पूर्व में ही जानकारी थी तथा उसके जीवित रहते सायलान ने कोई आपत्ति पेश नहीं की और गुरूचरन खुलेआम काश्त करता रहा है। तथा सायलान ने गैरसायलान से कोई वार्तालाप नही किया है। सायलान जाली व फर्जी दस्तावेज के आधार पर उक्त आराजी को हडपना चाहता है। उसने यह दावा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किया हैं। इसलिए सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस का मनन किया प्रतिवादी सं0 5 लगायत 9 ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 15.7.97 को सायल के हक में किया गया मौके पर कब्जा प्रदान कर दिया गैरसायलान के अधिकार विकृय के बाद समाप्त हो चुके थे। पुनः दिनांक 22.6.98 को प्रतिवादी सं0 5 लगायत 9 ने उत्तरदाता के पुरूष गुरूचरन के नाम कर दिया जब एक बार वयनामा कर चुके है तो

सहायक कलेक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)

Scanned with CamScanner

दुबारा वयनामा से उत्तरदाता के पूर्व पूरूष गुरूचरन को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है वयनामा शून्य है सायलान पूर्व में कब्जा प्राप्त कर चुके थे वर्तमान में मौके पर सायलान का कब्जा है गैरसायलान के अधिकारो का निर्णय साक्ष्य में वादी मूल दावा में किया जावेगा। सायलान प्रथमदृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन साबित करने में सफल रहे है। अतः गैरसायलानों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना हम उचित समझते है।

अतः आदेश है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 609, 632, 708, 818, बाकै ग्राम दूबरा में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति ताफैसला बनाये रखे। रहन, वय, मुन्तकिल न करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल दावा के साथ संलग्न रहे। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)

Scanned with CamScanner